

मायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 95/2021

राजकुमार पुत्र भैरूलाल जाति मीना निवासी कनाडा तहसील मांगरोल

.....वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज०)

....प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर०टी०एक्ट०**

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)


वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांक: 19.08.2021

निर्णय दिनांक : 18.11.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामिल खाने की आराजी खाना संख्या 71 खसरा नं० 147 रकबा 0.46 है०, खसरा नं० 149 रकबा 1.50 है०, खसरा नं० 179 रकबा 0.10 है०, खसरा नं० 190 रकबा 0.35 है०, खसरा नं० 206 रकबा 1.51 है०, खसरा नं० 208/552 रकबा 0.48 है०, खसरा नं० 286 रकबा 0.03 है०, खसरा नं० 315 रकबा 0.22 है०, खसरा नं० 325 रकबा 0.23 है०, खसरा नं० 365 रकबा 0.26 है०, खसरा नं० 415 रकबा 0.26 है०, खसरा नं० 416 रकबा 0.04 है०, खसरा नं० 428 रकबा 0.03 है०, खसरा नं० 429 रकबा 0.24 है०, खसरा नं० 430 रकबा 0.04 है० कुल किता 16 कुल रकबा 6.38 है० वाके ग्राम कनाडा तहसील मांगरोल व खाना संख्या 128 खसरा नं० 308 रकबा 0.87 है०, खसरा नं० 419 रकबा 0.15 है०, खसरा नं० 422 रकबा 1.06 है०, खसरा नं० 424 रकबा 0.07 है०, खसरा नं० 64 रकबा 0.29 है०, खसरा नं० 80 रकबा 0.08 है० कुल किता 6 कुल रकबा 2.52 है० वाके ग्राम पटपडा तहसील मांगरोल एवं खाना संख्या 760 खसरा नं० 1753 रकबा 0.28 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.28 है० वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम राजकुमार पुत्र भैरूलाल के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र भैरूलाल दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम राजकुमार पुत्र भैरूलाल है। जिसको वादी राजेन्द्र पुत्र भैरूलाल के स्थान पर राजकुमार पुत्र भैरूलाल दुरुस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में राजकुमार पुत्र भैरूलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में राजेन्द्र पुत्र भैरूलाल के स्थान पर राजकुमार पुत्र भैरूलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र भैरूलाल के स्थान राजकुमार पुत्र भैरूलाल दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 19.08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक:-राजस्व/2021/856 दिनांक 29.09.2021 के जिसके अनुसार राजेन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति मीना को राजकुमार पुत्र भैरूलाल जाति मीना के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग-अलग नहीं है। दोनो नाम

  
उप खण्ड अधिकारी  
मांगरोल जिला बारां (राज०)

से उक्त व्यक्ति राजेन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति मीना व राजकुमार पुत्र भैरूलाल जाति मीना एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम राजेन्द्र पुत्र भैरूलाल के स्थान पर राजकुमार पुत्र भैरूलाल सा० देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों तथा बयान गवाहान वादी स्वयं, मुरलीधर पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कनाडा के आधार पर आराजी खाता संख्या 71 खसरा नं० 147 रकबा 0.46 है०, खसरा नं० 149 रकबा 1.50 है०, खसरा नं० 179 रकबा 0.10 है०, खसरा नं० 190 रकबा 0.35 है०, खसरा नं० 206 रकबा 1.51 है०, खसरा नं० 208/552 रकबा 0.48 है०, खसरा नं० 286 रकबा 0.03 है०, खसरा नं० 315 रकबा 0.22 है०, खसरा नं० 325 रकबा 0.23 है०, खसरा नं० 365 रकबा 0.26 है०, खसरा नं० 415 रकबा 0.26 है०, खसरा नं० 416 रकबा 0.04 है०, खसरा नं० 428 रकबा 0.03 है०, खसरा नं० 429 रकबा 0.24 है०, खसरा नं० 430 रकबा 0.04 है० कुल किता 16 कुल रकबा 6.38 है० वाके ग्राम कनाडा तहसील मांगरोल व खाता संख्या 128 खसरा नं० 308 रकबा 0.87 है०, खसरा नं० 419 रकबा 0.15 है०, खसरा नं० 422 रकबा 1.06 है०, खसरा नं० 424 रकबा 0.07 है०, खसरा नं० 64 रकबा 0.29 है०, खसरा नं० 80 रकबा 0.08 है० कुल किता 6 कुल रकबा 2.52 है० वाके ग्राम पटपडा तहसील मांगरोल एवं खाता संख्या 760 खसरा नं० 1753 रकबा 0.28 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.28 है० वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र भैरूलाल के स्थान पर राजेन्द्र उर्फ राजकुमार पुत्र भैरूलाल दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, एवं इसके साथ-साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फौशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 कोर्ट केम्प तिसाया मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
मांगरोल